निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1940 (श0)

(सं0 पटना 438) पटना, मंगलवार, 15 मई 2018

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

15 मई 2018

सं० एल०जी०-01-07/2017-34 लेज।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राष्ट्रपति दिनांक 17 अप्रील 2018 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार –राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) अधिनियम, 2017

बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम, 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) को निरसित करने हेतु अधिनियम।

भारत–गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** –(1) यह अधिनियम बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) अधिनियम, 2017 कहा जाएगा।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह 01.07.2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ ।**–इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

   (i) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है, बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम, 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979);

   (ii) '' अभिकरण/एजेन्सी'' से अभिप्रेत है, बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) के अधीन गठित कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण/एजेन्सी;

   (iii) **''सरकार''** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

   (iv) **''नियमावली''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम, 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) की धारा–38 के अधीन बनाई गई नियमावली।

3. **कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों/एजेन्सी की आस्तियों एवं दायित्वों का जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना में निहित होना।** – इस अधिनियम के आरंभ की तिथि को एवं से कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों/एजेन्सी की आस्तियाँ एवं दायित्व जल संसाधन विभाग के प्रशासी नियंत्रणाधीन सोसाईटी अधिनियम के अधीन गठित जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना में निहित हो जायेंगे।

4. **कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों/एजेन्सी के पदाधिकारियों एंव कर्मचारियों का समायोजन।**–इस अधिनियम के आरंभ की तिथि को या से कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का समायोजन, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना के अधीन रिक्त समान वेतनमान वाले पदों पर अथवा समान वेतनमान वाले आवश्यकता आधारित पदों का सृजन कर, पूर्व के समान सेवाशर्त के अधीन किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो संस्थान द्वारा आस्तियों एवं दायित्वों के समुचित प्रबंधन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अनुमोदन से एक नियमावली बनाई जा सकेगी।

5. **राज्य सरकार की शक्तियाँ।**–इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार को ऐसे आदेश/निदेश अथवा अनुदेश निर्गत करने की शक्ति, प्राधिकार एवं अधिकारिता होगी जिसे वह इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में उत्पन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु उचित तथा आवश्यक समझे।

6. निरसन एवं व्यावृत्ति।–(1) बिहार राज्य कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम, 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। नियमावली/आदेश/संकल्प इत्यादि एतद्द्वारा निरसित किए जाते है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई अथवा लिया गया कोई निर्णय विधि सम्मत्त माना जाएगा तथा इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की गई कोई कार्यवाही जिसमें दण्डात्मक कार्रवाई शामिल होगी, तथा उक्त कार्यवाही के समापन तक जारी रहेगी मानों उक्त अधिनियम इस प्रयोजनार्थ विद्यमान है और इस आधार पर किसी न्यायालय में चल रही कार्यवाही अथवा लिए गए निर्णय के संबंध में कोई मामला किसी न्यायालय के समक्ष संस्थित नहीं किया जाएगा कि उक्त अधिनियम निरस्त कर दिया गया है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

15 मई 2018

सं० एल0जी0-01-07/2017/35/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 अप्रील 2018 को अनुमत बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र एजेन्सी (निरसन) अधिनियम, 2017 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar ACT 6 OF 2018]

Bihar Agricultural and Rural Area Development Agency (Repeal) Act, 2017

AN

ACT

To repeal the Bihar Agricultural and Rural Area Development Agency Act, 1978 (Bihar Act 3, 1979)

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty eighth year of the Republic of India as follows :—

1. ***Short title, extent and commencement*.— (1)** This Act shall be called Bihar Agricultural and Rural Area Development Agency (Repeal) Act, 2017

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar,

(3) It shall come into force with effect from 01.07.2017.

2. Definitions. – In this Act, unless otherwise requires in the context. -

(i) "Act" means Bihar Agricultural and Rural Area Development Agency Act, 1978 (Bihar Act 3, 1979);

(ii) "Agency" means Command Area Development Agency constituted under Agricultural and Rural Area Development Agency Act, 1978 (Bihar Act 3, 1979);

(iii) "Government" means Government of Bihar;

(iv) "Rules" means rules made by the State Government under Section-38 of the Bihar Agricultural and Rural Area Development Agency Act, 1978 (Bihar Act 3, 1979);

3. ***Vesting of assets and liabilities of the Command Area Development Agencies in the Water and Land Management Institute (WALMI), Patna.*** **—**On and from the date of commencement of this Act, all assets and liabilities of the Command Area Development Agencies shall vest in the Water and Land Management Institute (WALMI), Patna constituted under the administrative control of the Water Resources Department under the Societies Act.

4. ***Absorption of officers and employees of Command Area Development Agencies.*—** On and from the date of repeal of the Act, absorption of all officers and

employees of the Command Area Development Agencies, shall be made to the vacant posts of the similar payscale under the Water and Land Management Institute (WALMI), Patna or after creating need based posts of similar pay scale on similar service-conditions and if necessary, Rules may be made by the Institute with the approval of the State Government for the purpose of proper management of assets and Liabilities.

5. ***Power of the State Government.—***The State Government shall have power, authority and jurisdiction to issue such order/direction or instructions which it may deem proper and necessary for the removal of situations and problems arising in the implementation of the provisions of this Act.

6. ***Repeal and savings.—*** **(1)** The Bihar Agricultural and Rural Area Development Agency Act, 1978 (Bihar Act 3, 1979) is hereby repealed. Rules/Order/Resolution etc. are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action or decision taken under the said Act shall be deemed to be valid and any proceeding including penal, initiated under the said Act shall continue till the conclusion of the said proceeding as if the Act exists for this purpose and any case relating to the continuing proceeding or decision taken shall not lie before any court on the ground that the said Act has been repealed.

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 438-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in